11/7/17 पत्रावली आज वसुडाम कैम्प कोर्ट डांगियावास में पेश हुई। प्रतिवादी सं. 2 स्वयं उपस्थित।

प्रतिवादी ने बताया कि वादी की मृत्यु हुए एक वर्ष हो चुका है। इस हेतु सरपंच डांगियावास एवं मजमे आम में पूछने से भी यह सिद्ध होता है कि वादी की मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली के गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। चूंकि आज

(हस्ताक्षर)

जोधपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लोक अदालत में पूर्व केम्प में भी नोटिस जारी हुए थे परन्तु कोई उपस्थित नहीं। आज भी केवल प्रतिवादी सं. 2 उपस्थित। वादी स्वयं अनुपस्थित। एवं न्याय में यह स्पष्ट प्रदर्शित है कि मृत व्यक्ति वाद नहीं चला सकता व इसके प्रथम सुगम को हैव्यु के 90 दिवस के भीतर रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र की कार्यवाही की जाती है परन्तु ऐसी कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अत: पत्रावली अपूर्ण कार्यवाही वादी पक्ष द्वारा वाद चलाना आवश्यक न मानने के कारण खारिज की जाती है।	
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज केम्प कोर्ट डांगियावास में सुनाया गया।	

[signature]

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर

Scanned by CamScanner